प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **67/2023** (अपील सूचना का अधिकार)

पोखरलाल पुत्र प्यारेलाल जाट निवासीः ग्रा.प. सांरगपुरा, तहसील–कानोड, उदयपुर (राज0)

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कानोड़, उदयपुर (राज.)

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/07/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/67/23/844–45 दिनांक 28.06.2023 से लिखा गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ./2023/636 दिनांक 17.07.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र में अंकित क्रम संख्या A-G तक सूचना चाही गई है जो कि प्रश्नवाचक है। उक्त के संबंध में बिन्दु संख्या A-D तक कार्यालय में आवक जावक पत्रों की पंजिका की छायाप्रति उपलब्ध होकर तैयार है। बिन्दु संख्या आंशिक D तथा E में जिस रूप में सूचना चाही गई है, उस रूप में इस कार्यालय में सूचना संधारित नहीं है। बिन्दु संख्या F में इस कार्यालय के अलावा अन्य तहसील का कार्यभार नहीं है। बिन्दु संख्या G में दिनांक 15.11.2018 से आज दिनांक तक कार्यालय में उपलब्ध आवक जावक पत्रों की पंजिका की छायाप्रतियां उपलब्ध होकर तैया है। प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा सूचना प्राप्त करने की राशि 730/– रुपये जमा कराने हेतु लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है। राशि जमा होते ही सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी। प्रार्थी को उक्त सूचना के अतिरिक्त किस

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पत्रावली/दस्तावेज की सूचना की आवश्यकता है, उसका स्पष्ट उल्लेख कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या A-G तक सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्रांक 635 दिनांक 14.07.2023 से पत्राचार कर सूचना से संबंधित दस्तावेज 365 पेज प्रति पेज 2/– अनुसार कुल 730/– रुपये राजकोष में जमा करवाने हेतु लिखा गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) अनुसार "धारा 5 के उप–धारा(2) के परन्तुक या धारा की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में, अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, या तो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये, सूचना देगा या धारा 8 व 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को नामंजूर करेगाः" धारा 7(2) अनुसार "यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के अनुरोध पर उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चय देने मे विफल रहता है तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिए यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध नामंजूर कर दिया है।"

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 01.05.2023 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 14.07.2023 से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निश्चित समयावधि 30 दिवस के उपरान्त प्रार्थी को राशि जमा कराने हेतु लिखा गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं धारा 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कानोड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध करा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कानोड़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर